न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना।

उत्पाद वाद सं0–01/2015–16

अरूण कुमार बनाम अशोक कुमार, गोपाल प्रसाद एवं अन्य

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

आदेश

प्रस्तुत उत्पाद वाद अरूण कुमार, पिता स्व0 प्रेमी आजाद, साकिन–मोहल्ला–पीरमोहानी, आजाद मार्केट, राजेन्द्र पथ, पटना द्वारा बिहार उत्पाद अधिनियम–1915 की धारा–8 के अंतर्गत आवेदन दाखिल किया है।

अभिलेख अवलोकन किया। दिनांक 30.05.2015 को विपक्षी पर नोटिस निर्गत करते हुए, निम्न न्यायालय का अभिलेख मांग किया गया। दिनांक 19.06.2015 को विपक्षी–02 की ओर से हाजरी सहित वकालतनामा दाखिल किया। विपक्षी सं0 03 की ओर से प्रत्युत्तर दाखिल किया गया।

अभिलेख परिशीलन किया। अपीलकर्ता का कथन है कि उन्होंने मकान किराया में नहीं दिया है। अशोक कुमार को उक्त मकान लीज पर मात्र अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2013 तक के लिए दिया गया था। लीज अवधि समाप्त हो जाने के बाद दुकान खाली कर दिया जाना था। परन्तु, अशोक कुमार (किरायेदार) द्वारा ऐसा नहीं किया गया। इसके लिए निष्कासन वाद सं0 73/13 सब जज–01 पटना के न्यायालय में लम्बित है।

सहायक आयुक्त उत्पाद, पटना (विपक्षी सं0 03) के द्वारा अपने प्रत्युत्तर में लिखा गया है कि यदि एक किरायेदार दूसरे किरायेदार को मकान मालिक बताकर, किराये पर दुकान देता है तो यह फर्जीवाड़ा का मामला बनता है तथा इसमें उत्पाद विभाग की ओर से अब कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।

उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख के परिशीलनोपरान्त यह न्यायालय निष्कर्ष पर पहुँचती है कि वर्तमान में सम्पूर्ण राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू है। आवेदक का मामला फर्जीवाड़ा से संबंधित है, जिसके लिए वे सक्षम न्यायालय की शरण ले सकते हैं। इस मामले में बिहार उत्पाद अधिनियम की धाराओं के तहत कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।

इसी के साथ आवेदन को अस्वीकृत करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना।